परामर्श के लिए मसौदा

सुरक्षा नीति समीक्षा और अपडेट के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन का सारांश: श्रम तथा कार्य-परिस्थितियां

नवंबर 2021

Sustainable Development and Climate Change Department
Asian Development Bank

+63 8632-4444 local 70747
safeguardsupdate@adb.org

Social Media
Follow and tag on Facebook
https://www.facebook.com/ADBsafeguardreview
#ADBsafeguardreview

I. परिचय

1. एशियाई विकास बैंक (एडीबी) अपने सुरक्षा नीति विवरण, 2009 (एसपीएस) की व्यापक समीक्षा करके उसे अपडेट कर रहा है।[1] मई 2020 (आंतरिक मूल्यांकन विभाग रिपोर्ट) में एडीबी के स्वतंत्र मूल्यांकन विभाग (आईईडी) द्वारा सुरक्षा नीति विवरण के कॉर्पोरेट मूल्यांकन के बाद एडीबी प्रबंधन द्वारा अपडेट प्रक्रिया शुरू की गई है[2]। अपडेट में आंतरिक मूल्यांकन विभाग रिपोर्ट के उन निष्कर्षों और सिफारिशों का निर्माण करेगा, जिसे एडीबी प्रबंधन ने समर्थन दिया था। अपडेट में विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) और निजी क्षेत्र के ग्राहकों की बदलती विकास संदर्भ और उभरती जरूरतों और क्षमताओं पर विचार करते हुए नीति को आधुनिक बनाने की कोशिश की जाएगी; साथ ही अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों (एमएफआई) के नीति सिद्धांतों और मानकों के साथ अधिक सामंजस्य के अवसर जुटाए जाएंगे। अपडेट में निजी क्षेत्र सहित एडीबी ऋण देने के तौर-तरीकों और संचालन की विविधता के साथ-साथ नाजुक और संघर्ष प्रभावित स्थितियों (एफसीएएस), छोटे द्वीपों वाले विकासशील देशों (एसआईडीएस) और आपातकालीन सहायता जैसे विभिन्न संदर्भों के लिए अपेक्षाओं पर विचार किया जाएगा। कुल मिलाकर, नीतिगत अपडेट में सुरक्षा कार्यान्वयन की प्रभावशीलता और दक्षता को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा, जिससे पर्यावरण और प्रभावित लोगों के लिए लाभकारी सुरक्षा उपायों के परिणामों में वृद्धि होगी।

2. आगे की समीक्षा, नीति विकास और सार्थक हितधारक जुड़ाव की प्रक्रिया के बाद, संशोधित सुरक्षा नीति मार्च 2023 में एडीबी बोर्ड के विचार के लिए तैयार होने की उम्मीद है। इस प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, एडीबी संक्षिप्त विश्लेषणात्मक अध्ययनों की एक श्रृंखला चला रहा है।[3] इन अध्ययनों में चयनित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की नीतियों की तुलना में एडीबी के वर्तमान सुरक्षा नीति विवरण को बेंचमार्क तय किया जाएगा और कार्यान्वयन के अनुभव पर संक्षेप में विचार किया जाएगा।[4] इन अध्ययनों में नई सुरक्षा नीति के विकास की जानकारी दी जाएगी और हितधारकों की समीक्षा और परामर्श के लिए उपलब्ध कराये जाएंगे। आरंभिक अंशधारकों के विचार एकत्र करने के लिए सबसे पहले प्रारंभिक सारांशों का खुलासा किया जाएगा। तब विश्लेषणात्मक अध्ययनों को भी अपडेट करके पूर्ण रूप से प्रकट किया जाएगा। हितधारकों की भागीदारी और परामर्श के तीन मुख्य चरण होंगे: (i) प्रारंभिक सूचना और नीति अपडेट और हितधारक सहभागिता योजना के लिए समग्र दृष्टिकोण तक पहुंच; (ii) विश्लेषणात्मक अध्ययनों पर परामर्श; और (iii) मसौदा नीति पत्र पर परामर्श। क्षेत्रीय परामर्श सहित हितधारकों की भागीदारी के लिए कई अवसर होंगे; एडीबी विकासशील सदस्य देशों (डीएमसी) और नागरिक समाज संगठनों (सीएसओ) के साथ "गहन-मंथन" सत्र; विशिष्ट विषयों पर फोकस समूह; और एडीबी परियोजनाओं से प्रभावित लोगों के साथ परामर्श।[5] इस दस्तावेज़ में श्रम और कार्य-परिस्थितियों पर विश्लेषणात्मक अध्ययन का सारांश है।

II. कार्यप्रणाली

---

1 ADB. 2009. Safeguards Policy Statement. Manila. https://www.adb.org/documents/safeguard-policy-statement

2 Independent Evaluation Department. 2020. *Evaluation Document: Effectiveness of the 2009 Safeguard Policy Statement*. Manila. https://www.adb.org/documents/effectiveness-2009-safeguard-policy-statement

3 The planned analytical studies are: 1. Overall Policy Architecture; 2. Indigenous Peoples; 3. Resource Efficiency and Pollution Prevention; 4. Labor and Working Conditions; 5. Community and Occupational Health & safety; 6. Land Acquisition, Restriction of Access and Involuntary Resettlement; 7. Stakeholder Engagement, Information Disclosure and grievance redress Mechanisms; 8. Biodiversity and Natural Resource Management; 9. Country Safeguards Systems; 10. Cultural Heritage; 11. Safeguards in Different Financing Modalities; 12. Environmental and Social Impacts and Risk Assessment; 13. Climate Change; 14. Safeguards in Fragile and Conflict Affected Situations and Small Island Developing States (FCAS/SIDS). Additional studies may also be added where needed.

4 The studies are intended to complement the evaluation completed by IED in May 2020 and will not duplicate IEDs work on the overall effectiveness of the SPS.

5 Please refer to the ADB website and Stakeholder Engagement Plan for further details. https://www.adb.org/who-we-are/safeguards/safeguard-policy-review

3. **श्रम तथा कार्य-परिस्थिति अध्ययन का उद्देश्य और दायरा**। एडीबी की वर्तमान नीति, रणनीति और प्रथाओं की चयनित साथी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के सुरक्षा ढांचे और नीतियों से तुलना करने के उद्देश्य से एक बेंचमार्किंग अध्ययन तैयार किया गया है। अध्ययन में शामिल बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों में अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम (आईएफसी), यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी), इंटर-अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप (आईडीबी समूह), इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन (आईएफसी) और विश्व बैंक (WB) शामिल हैं। कवर किए गए अन्य पहलुओं में श्रम तथा कार्य-परिस्थिति के संबंध में संबंधित सुरक्षा प्रणालियों का दायरा और आवेदन; श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मुद्दों का विषयगत कवरेज; और कर्ज़दारों और ग्राहकों के लिए लागू प्रासंगिक परिचालन अपेक्षाएं शामिल हैं। इसमें अंतराल की पहचान करना, अभिसरण के क्षेत्र, ताकत और कमजोरियां, महत्वपूर्ण अंतर, उभरते मुद्दे और परिचालन प्रभाव शामिल थे। संभावित मुद्दों या सुधारों की पहचान करने में एडीबी की सहायता करने की दृष्टि से उन प्रासंगिक क्षेत्रीय/उद्योग श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानकों पर विचार किया गया था जिन पर सुरक्षा नीति विवरण अपडेट प्रक्रिया के हिस्से के रूप में विचार किया जा सकता है।

4. बेंचमार्किंग अध्ययन डेस्कटॉप अभ्यास के रूप में किया गया था और इसमें प्रमुख रूप से एडीबी, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और तीसरे पक्ष के दस्तावेज़ों के साथ-साथ संबंधित लेखों, रिपोर्टों और अध्ययनों की समीक्षा की गई थी। समीक्षा को एडीबी कर्मचारियों, साथी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधियों, चयनित एडीबी शेयरधारकों और समुदाय सेवा संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ आभासी साक्षात्कार द्वारा अनुपूरक बनाया गया था। विकासशील सदस्य देशों और समुदाय सेवा संगठनों के साथ नियोजित अतिरिक्त परामर्श के माध्यम से अध्ययन को आगे बढ़ाया जाएगा।

III. श्रम और कार्य-परिस्थितियों पर आंतरिक मूल्यांकन विभाग के निष्कर्ष

5. श्रम तथा कार्य-परिस्थिति के संबंध में, आंतरिक मूल्यांकन विभाग रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला कि सुरक्षा नीति विवरण में आवेदन के दायरे और श्रम और कामकाजी परिस्थितियों के लिए कार्यान्वयन संबंधी अपेक्षाओं पर स्पष्टता की कमी है। विशेष रूप से, अध्ययन में श्रम और कार्य-परिस्थितियों, सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, लिंग, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम, आमद / प्रवासी श्रमिकों, हितधारक सहभागिता जैसे सामाजिक आयामों के सुरक्षा पहलुओं को स्पष्ट और एकीकृत करने के लिए सुरक्षा नीति विवरण के कवरेज का विस्तार करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया गया है जिनमें से कुछ का समाधान वर्तमान में अन्य एडीबी रणनीतियों और नीतियों द्वारा किया जा रहा है।

6. आंतरिक मूल्यांकन विभाग की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि श्रम और कार्य-परिस्थितियों या सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, जो सामाजिक प्रभावों के साथ ओवरलैप हैं, का सही ढ़ंग से समाधान नहीं किया गया था। समीक्षा के हिस्से के रूप में दौरा किए गए सभी देशों में कार्यकर्ता शिविरों और कार्यस्थल सुरक्षा में व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा (ओएचएस) मुद्दे आमतौर पर पाए गए। यह नोट किया गया कि ओएचएस मुद्दों पर सुरक्षा नीति विवरण अपेक्षाओं का पालन ठेकेदार या कर्ज़दारों पर और राष्ट्रीय अधिकारियों द्वारा श्रम नियमों को किस हद तक लागू किया जाता है, इस पर बहुत अधिक निर्भर करता है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि सुरक्षा नीति विवरण में श्रम और कार्य-परिस्थितियों, व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा, हितधारक सहभागिता, जलवायु परिवर्तन, लिंग और निजी क्षेत्र के वित्तपोषण के बारे में उपलब्ध मार्गदर्शन अपर्याप्त है।

IV. श्रम तथा कार्य-परिस्थिति के लिए नीति सिद्धांतों और अपेक्षाओं का अवलोकन

7. वर्तमान में एडीबी श्रम तथा कार्य-परिस्थिति से संबंधित अपेक्षाओं को सुरक्षा नीति विवरण और एडीबी सामाजिक सुरक्षा रणनीति, 2001 दोनों के माध्यम से लागू करता है। सामाजिक सुरक्षा रणनीति के अनुसार,

एडीबी से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है कि परियोजना गरीबी और सामाजिक विश्लेषण के हिस्से के रूप में श्रम जोखिम और अवसरों का मूल्यांकन करती है। परियोजना के डिजाइन के दौरान और सामाजिक सुरक्षा के लिए परियोजना के समग्र दृष्टिकोण के हिस्से के रूप में शमन उपायों को अपनाया जाता है। व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे अतिरिक्त श्रम समस्या जोखिम को पर्यावरण सुरक्षा उपाय नीति के सिद्धांतों और सुरक्षा नीति विवरण की अपेक्षाओं के हिस्से के रूप में हल किया जाता है, जबकि बाल और जबरन मजदूरी को सुरक्षा नीति विवरण में निषिद्ध निवेश गतिविधियों की सूची (पीएआईएल) के माध्यम से हल किया जाता है। श्रम जोखिम (जैसे बाल श्रम, जबरन मजदूरी, और अन्य मुख्य श्रम मानकों की अपेक्षाओं) को सुनिश्चित करने के लिए परिचालन अपेक्षाओं को कर्ज़दारों और ग्राहकों के साथ मानक एडीबी ऋण समझौतों के साथ-साथ परियोजना दस्तावेजों और अनुबंध दस्तावेजों में निर्धारित किया गया है। सुरक्षा नीति विवरण की अपेक्षा है कि परियोजनाओं की पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं (ईएमपी) समुदाय और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मुद्दों को हल करने के लिए संभावित प्रभाव और शमन उपाय निर्धारित करें। कर्ज़दार से ठेकेदारों द्वारा कार्यान्वयन सहित ईएमपी का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।

V. श्रम तथा कार्य-परिस्थिति बेंचमार्किंग अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों का सारांश

8. कुल मिलाकर, अध्ययन में पाया गया कि 2000 के दशक की शुरुआत में एडीबी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों समुदाय में अपने उधार कार्यों में श्रम मुद्दों को एकीकृत करने के मामले में अग्रणी था, लेकिन अब यह पिछड़ गया है। उदाहरण के लिए, श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मुद्दों की विशेष रूप से सुरक्षा नीति विवरण में प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग और वर्गीकरण में विचार के रूप में पहचान नहीं हुई है। एडीबी और चयनित बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के बीच मुख्य अंतर का नीचे संक्षेप में वर्णन किया गया है:

- **बिखरे हुए प्रावधान:** श्रम तथा कार्य-परिस्थिति का एडीबी कवरेज कई दस्तावेजों में फैले हुए हैं और 4 प्रमुख श्रम मानक (सीएलएस) क्षेत्रों (बाल श्रम; बलात श्रम; गैर-भेदभाव; संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी) को कवर करने पर केंद्रित हैं। परिणामस्वरूप, एडीबी के श्रम तथा कार्य-परिस्थिति प्रावधानों में स्पष्टता और पहुंच का अभाव है। इसके विपरीत ईबीआरडी, आईडीबी समूह, आईडीबी निवेश, आईएफसी, और विश्व बैंक सभी के पास श्रम तथा कार्य-परिस्थिति पर विशिष्ट समेकित मानक हैं, जिनमें न केवल चार प्रमुख श्रम मानक ठेकेदार श्रमिक, श्रम प्रवाह, और आपूर्ति श्रृंखला बल्कि छंटनी, श्रमिक शिकायत तंत्र जैसे श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मुद्दों की पूरी श्रृंखला भी हैं। । निष्कर्ष यह है कि श्रम तथा कार्य-परिस्थिति पर एक सुसंगत और स्टैंड अलोन फोकस के कारण इस मुद्दे पर अधिक ध्यान दिया जाएगा तथा कार्यान्वयन विखंडन का समाधान करने में मदद मिलेगी। साथी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के अनुभव से यह भी ज्ञात होता है कि स्टैंड-अलोन श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानक और संबद्ध मार्गदर्शन होना बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों और कर्ज़दारों दोनों के लिए स्पष्टता की दृष्टि से फायदेमंद है।
- **आवेदन की गुंजाइश**: श्रम तथा कार्य-परिस्थिति के आवेदन का दायरा स्पष्ट नहीं है। हालांकि एडीबी 2006 प्रमुख श्रम मानक हैंडबुक[6] में एडीबी के विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को उल्लेख है लेकिन श्रम तथा कार्य-परिस्थिति संबंधी प्रावधान विभिन्न दस्तावेजों में बिखरे हुए हैं। एडीबी भी प्रकार के श्रमिकों का हवाला देता है लेकिन विशेष रूप से कमजोर श्रमिकों का उल्लेख नहीं करता है

[6] 2006. ADB's Core Labor Standards Handbook. https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33480/files/cls-handbook.pdf

कि वे कौन हो सकते हैं और उन्हें किस दृष्टि से कमजोर माना जा सकता है। इसके विपरीत, अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के पास उनके श्रम तथा कार्य-परिस्थिति प्रावधानों के लिए आवेदन का अधिक स्पष्ट दायरा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की स्पष्ट परिभाषा शामिल है। वे आवेदन के दायरे में कमजोर श्रमिकों को भी शामिल करते हैं और उदाहरण देकर समझाते हैं कि वे कमजोर श्रमिक कौन हो सकते हैं।

- **आकांक्षा बनाम व्यवहारिक:** प्रमुख श्रम मानकों संबंधी एडीबी के प्रावधानों को इस ढ़ंग से लिखा गया है कि वे समग्र विकास उद्देश्य के प्रति अधिक आकांक्षा का भाव रखते हैं जबकि अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों का दृष्टिकोण अधिक प्रायोगिक है। इसके अलावा, प्रमुख श्रम मानकों को कैसे लागू किया जाए, इस पर एडीबी ने कोई विशिष्ट उद्देश्य परिभाषित नहीं किया है। इसके विपरीत, अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों ने प्रचालन-केंद्रित मार्गदर्शन टिप्पणियों के साथ अपने ग्राहकों के लिए स्पष्ट, व्यावहारिक, कार्रवाई योग्य और प्राप्त करने योग्य उद्देश्यों और अपेक्षाओं को परिभाषित किया है। इसके विपरीत एडीबी के पास ऐसे उपकरणों का अभाव है।

- **नीति बनाम प्रदर्शन मानक** : एडीबी की वर्तमान अवधारणा में परियोजना के संदर्भ और लागू किए गए श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मुद्दों की सीमा के आधार पर परियोजना के मुद्दों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने का लचीलापन है। इसके विपरीत, अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रदर्शन मानक दृष्टिकोण में कर्ज़दारों और ग्राहकों के लिए अधिक विशिष्ट अपेक्षाएं हैं। इन दोनों के बीच अंतर यह है कि बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों की श्रम तथा कार्य-परिस्थितियों में बाध्यकारी अपेक्षाओं की वजह से अधिक स्पष्टता है जो परियोजनाओं के जोखिमों को अधिक व्यवस्थित रूप से समाधान करेगी, साथ ही उन्नत विकास परिणामों का समर्थन करेगी।

- **मार्गदर्शन और प्रचालन का अभाव**: अपने साथियों के विपरीत, एडीबी के पास श्रम तथा कार्य-परिस्थितियों पर परियोजना-विशिष्ट मार्गदर्शन का अभाव है। एडीबी की श्रम तथा कार्य-परिस्थिति अपेक्षाएं भी कार्यान्वयन-केंद्रित नहीं हैं इसलिए उन्हें व्यवस्थित रूप से परिचालित नहीं किया जा सकता है।

- **वर्णनात्मक बनाम निर्देशात्मक** : प्रमुख श्रम मानकों संबंधी हैंडबुक में, एडीबी "क्या है" अवधारणा पर केंद्रित है, यह बताता है कि प्रमुख श्रम मानक क्या हैं और एडीबी इन्हें कैसे लागू कर सकता है। अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों ने ग्राहकों और परियोजनाओं का "कैसे मार्गदर्शन करें" वाली अधिक निर्देशात्मक अवधारणा चुनी है। अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों ने मार्गदर्शन टिप्पणियों द्वारा समर्थित अधिक बाध्यकारी भाषा को अपनाया है। प्रमुख श्रम मानकों संबंधी हैंडबुक में श्रम तथा कार्य-परिस्थितियों पर अधिक निर्देशात्मक भाषा का अभाव इस धारणा को बल देता है कि प्रमुख श्रम मानकों का अनुपालन वैकल्पिक है, लेकिन राष्ट्रीय श्रम तथा कार्य-परिस्थितियों संबंधी प्रावधान अनिवार्य हैं।

- **जिम्मेदारी सौंपने से परहेज करना**: ईबीआरडी, आईडीबी समूह, आईडीबी निवेश, आईएफसी, और विश्व बैंक ने श्रम तथा कार्य-परिस्थिति के प्रबंधन और निगरानी की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से कर्ज़दार और ग्राहकों पर डाल दी है। इसके विपरीत, एडीबी की प्रमुख श्रम मानक हैंडबुक में इस बात की पहचान की गई है कि श्रमिक मुद्दों को हल करने की जिम्मेदारी किसकी है। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैनुअल जैसे लिंक्ड प्रोजेक्ट दस्तावेज़ में कभी-कभी मुख्य श्रम मानकों के विशिष्ट संदर्भ शामिल नहीं होते हैं।

- **दायरा और अंतराल** : अपने बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों साथियों की तुलना में श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मुद्दों के एडीबी कवरेज, विशेष रूप से क्रॉस-कटिंग और श्रमिकों की भेद्यता, श्रमिकों की शिकायत तंत्र, श्रम प्रवाह, प्रवासी श्रमिक, लिंग और हिंसा आधारित लिंग के जोखिम जैसे उभरते मुद्दों को लेकर अंतराल हैं। श्रम तथा कार्य-परिस्थिति के एडीबी के वर्तमान उपचार में आपूर्ति श्रृंखला जोखिम शामिल नहीं है जबकि अन्य समतुल्य संस्थानों ने अपने श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानकों में प्राथमिक आपूर्तिकर्ताओं पर प्रावधानों को अपनाया है।[7] इनमें आपूर्ति श्रृंखला जोखिमों का पूरी तरह से समाधान करने की ग्राहक की क्षमता को पहचाना गया है जो उसके प्रबंधन नियंत्रण के स्तर या उसके प्राथमिक आपूर्तिकर्ताओं पर प्रभाव पर निर्भर करता है। जब उपाय संभव नहीं होता है, तो वे कर्ज़दारों को अन्य प्राथमिक आपूर्तिकर्ताओं के पास जाने का आग्रह करते हैं।

- **बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथियों के साथ सामंजस्य** : श्रम तथा कार्य-परिस्थिति पर ध्यान देने के लिए एक समेकित और अपडेटिड अपेक्षाओं के अभाव में अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के साथ सह-वित्तपोषण के लिए चुनौतियां पैदा हो सकती हैं और इसके परिणामस्वरूप सह-वित्त स्थितियों में लेनदेन लागत अधिक हो सकती है। अन्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के अनुभव से ज्ञात होता है कि पर्यावरण और सामाजिक सुरक्षा उपायों (श्रम तथा कार्य-परिस्थिति के संबंध में) के संदर्भ में बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के बीच सामंजस्य बढ़ने से ग्राहकों के लिए परियोजना तैयार करना और लगातार अपेक्षाओं और मानकों का अनुपालन करना आसान हो जाता है। इसके अलावा, निरंतरता की वजह से बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के लिए परियोजनाओं पर सहयोग करना आसान हो जाता है, जिससे दक्षता बढ़ती है।

9. कुल मिलाकर, अध्ययन में पाया गया है कि मूल्यांकन किए गए जोखिमों का समाधान करने के लिए श्रम तथा कार्य-परिस्थिति परिप्रेक्ष्य से संबंधित उपायों के साथ एक स्पष्ट जोखिम मूल्यांकन ढांचा फायदेमंद होगा। उदाहरण के लिए, वैसे तो श्रम तथा कार्य-परिस्थिति के स्वास्थ्य और सुरक्षा घटक का उल्लेख पूरी तरह से सुरक्षा नीति विवरण में है, लेकिन जोखिम मूल्यांकन संबंधी स्पष्ट अपेक्षाओं और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। इन मूल्यांकनों के लिए कर्मचारियों और कर्ज़दारों के अधिक प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है।

VI. आगे के विचार के लिए प्रमुख मुद्दे

10. इस समीक्षा के निष्कर्षों के आधार पर, बेंचमार्किंग अध्ययन में आगे विचार और परामर्श के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक सिफारिशें की गई हैं:

- **स्टैंड-अलोन श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानक अपनाना** : स्टैंड-अलोन श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानक में श्रम तथा कार्य-परिस्थिति के उद्देश्यों और अपेक्षाओं को समेकित और स्पष्ट किया जाएगा, और अपेक्षाओं तथा प्रक्रियाओं के संदर्भ में कर्मचारियों और कर्ज़दारों / ग्राहकों के लिए अधिक स्पष्टता आएगी। इसके लिए नए श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानकों में शामिल किए जाने वाले विशिष्ट प्रावधानों और अपेक्षाओं पर अधिक विस्तृत चर्चा करने की आवश्यकता है। हालांकि तुलनात्मक विश्लेषण और कार्यान्वयन के अनुभव और अन्य समतुल्य बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों और कर्ज़दारों और ग्राहकों से सीखे गए सबक के आधार पर श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानकों के संभावित दायरे पर अधिक समीक्षा करने की आवश्यकता है।

[7] The EBRD Performance Requirement 1 defines primary suppliers as "those suppliers who, on an ongoing basis, directly provide goods or materials essential for the core operational functions of the project. Core operational functions of the project are those production and/or service processes which are essential for a specific project activity and without which the project cannot continue."

- **सुरक्षा उपाय निरीक्षण और गुणवत्ता आश्वासन** : श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानको को लागू करने और उसकी निगरानी करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं और कदमों की समीक्षा करने की आवश्यकता है। परियोजनाओं के कार्यान्वयन की सार्थक निगरानी के लिए परिणाम संकेतकों सहित आवश्यक संकेतकों पर सापेक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिए।
- **दिशानिर्देश और उपकरण** : बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों के अनुरूप, यह अनुशंसा की जाती है कि एडीबी को एक स्टैंड-अलोन श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानकों की तैयारी के साथ-साथ सक्रिय रूप से केंद्रित श्रम तथा कार्य-परिस्थिति दिशानिर्देश, मार्गदर्शन टिप्पणियां और कर्ज़दारों और ग्राहकों के लिए उपकरण विकसित करने चाहिए।
- **श्रम तथा कार्य-परिस्थिति में बैंक विशेषज्ञता को मजबूत करना**: एडीबी कर्मचारियों, विकासशील सदस्य देशों, निजी क्षेत्र के ग्राहकों और सलाहकारों की जरूरतों को कवर करते हुए एक नए श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मानक को लागू करने के लिए अपेक्षित तकनीकी विशेषज्ञता की समीक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसा करना क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के विकास में सहायक हो सकता है।

VII. अगला कदम

11. एडीबी बेंचमार्किंग अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों पर सभी संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करेगा और अन्य प्रासंगिक श्रम तथा कार्य-परिस्थिति मुद्दों की पहचान करेगा जिन पर सुरक्षा नीति विवरण को अपडेट करते समय में विचार करने की आवश्यकता है। बेंचमार्किंग अध्ययन से उत्पन्न होने वाले विशिष्ट मुद्दों पर और प्रासंगिक हितधारकों के साथ परामर्श के लिए उनके आवेदन के दायरे और नए मानकों और / या नीतिगत अपडेट्स के दिशानिर्देशों के रूप में उनके कार्यान्वयन की व्यावहारिकता का आकलन करने के लिए आगे अध्ययन और विश्लेषण किए जाएंगे। विश्लेषण की सीमा का विस्तार करने के लिए विश्लेषण पर हितधारक इनपुट और सिफारिशें मांगी जाएंगी। श्रम तथा कार्य-परिस्थिति अध्ययन से जुड़े विषयों पर अन्य विश्लेषणों में समुदाय और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा शामिल हैं और वे सब मिलकर नीति की अपडेट प्रक्रिया की जानकारी देने में योगदान देंगे।

***